FORM No. III

# फर्द अहकाम

( नियम 26 )

...अदालत उपखण्ड़ अधिकारी भीलवाड़ा मुकाम भीलवाड़ा

...ी मोहन लाल माली बनाम सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा

...मुकदमा 251-A नं. 426 सन् 2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 3/11/22 | बाद जॉच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 30/11/22 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड़ अधिकारी<br>भीलवाड़ा | |
| 30/11/22 | पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष<br>पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त<br>अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश<br>दिनांक 13/12/22 को पेश हो।<br><br>आदेश से रीडर | |
| 13/12/22 | पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 12/1/23 को पेश हो।<br><br>आदेश से रीडर | |
| 12/1/23 | पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष<br>पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त<br>अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश<br>दिनांक 7/2/23 को पेश हो।<br><br>आदेश से रीडर | |
| 7/2/23 | पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष<br>पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त<br>अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश<br>दिनांक 14/3/23 को पेश हो।<br><br>आदेश से रीडर | |

01.07.25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। तहसील साविक आदेश की पालना में रिपोर्ट 20.8.25 को पेश हो।

20.08.25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा के पत्रांक /एफ-121/रीडर/2025/150 दिनांक 22.05.25 से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तहसीलदार भीलवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मालोला की आराजी सं. 491 सोहन लाल पि० मदनलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी में आने-जाने हेतु आराजी नं. 427 में से रास्ता चाहा गया है जो प्रार्थी की आराजी से विपरित दिशा में स्थित होकर किसी प्रकार से संलग्न नहीं है। प्रार्थी अपनी आराजी में ~~आने~~ ग्राम नारायणपुरा की आ.न. 487 में से होकर जाता है। आ.न. 487 की किस्म गैर० रास्ता होकर नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम दर्ज रिकार्ड है। ~~चूंकि~~ ~~कि~~ अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 A रा० का० अधिनियम 1955 रास्ता उपलब्ध होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से खुम हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा